



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112021-230850
CG-DL-E-01112021-230850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4160]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 29, 2021/कार्तिक 7, 1943

No. 4160]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2021/ KARTIKA 7, 1943

रेल मंत्रालय
(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4521(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 225(अ) तारीख 16 जनवरी, 2021 द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 18 जनवरी, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात्, "द टाइम्स ऑफ इण्डिया", तारीख 29 जनवरी, 2021 और "लोकमत", तारीख 29 जनवरी, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक आक्षेप प्राप्त हुए था और उस पर विचार किया गया तथा उसे अननुज्ञात कर दिया गया ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशाल रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का, संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम: पालघर

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल हेक्टर में	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	पालघर	पालघर	खैरापाडा	74/1	खेतजमिन	निजी	0.2711	तनाज रेडडी
				12	खेतजमिन	निजी	0.0038	देवकी धनजी धोडी सुनिल धनजी धोडी छाया गुलाब धोडी प्रविणा दिनेश धोडी काषिनाथ केशव धोडी भगवान केशव धोडी जमनी विश्णू धोडी
				75/1	खेतजमिन/बिन खेतजमिन	निजी	0.4000	डीपी जहांगीर इराणी जास्मीन संतोश मिश्रा
2			उमरोली	120	खेतजमिन	निजी	0.0219	नविनचंद्र किसनलाल शहा, नरेश नविनचंद्र शहा, किरण नविनचंद्र शहा, अल्पेश नविनचंद्र शहा
				310	खेतजमिन	निजी	0.3858	नरेश नविनचंद्र शाह, अल्पेश नविनचंद्र शाह, किरण नविनचंद्र शाह, नविनचंद्र किसनलाल शाह, अवधेश शालिक तिवारी, ओमप्रकाश वंशराज तिवारी, अमृतलाल जयराम पाल, नन्दलाल मोहनलाल पाल, शिल्पा मुकेश प्रतापसिंग, भारतभुशण जी पाल, ध्रुवभूशण जी पाल, चिंतामणी अलगू पाल, चन्द्रभान रामकुमार मिश्रा, उदयभान रामकुमार मिश्रा, रामलाल रामनायक यादव, ननकउ बट्टीप्रसाद केवर, महेंद्रप्रसाद बजरंगबली गुप्ता, किशून् रामसूरत यादव, जगरनाथ रामबरण विश्वकर्मा, दिनेश गिरधरलाल गांधी, अनिल एस मिश्रि, चन्द्रधर रामजनय सिंह,

								उमेषचंद्र दयार्शकर यादव, नन्दलाल हरिराम पाल, नरेंद्रप्रताप भगवानदास यादव, राममिलन रामलगन जैसवार, दयाराम मिश्रिलाल गुप्ता, लक्ष्मण रामचरण केवर, भुलई महावीर पाल, सुशीलकुमार चुलबुल पाल, केदार सतीराम यादव, नविनचंद्र किसनलाल शहा, किरण नविनचंद्र शाह, अल्पेण नविनचंद्र शाह, रामसजीवन जगन्नाथ यादव, राजकुमार कामताप्रसाद यादव, सुषिलकुमार रामरुख यादव, लालसिंह रावतसिंह दहिया, भवरसिंह जयसिंह राठोड, बाबुसिंह नरसिंह चव्हाण, नारायणसिंह गिरधारीसिंह भारी, विनोदकुमार भवरलाल वडालमिया, अजीत महादेव राऊत
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/1/डब्ल्यू सी/2241]
राकेश चौधरी, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October 2021

S.O. 4521(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O. 225 (E), dated the 16th January, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 18th January, 2021 and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers namely, “The Times of India”, dated the 29th January, 2021 and “Lokmat”, dated the 29th January, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, one objection was received and the same has been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

Name of the District: Palghar.

Sl. No.	Name of the District	Name of Taluka	Name of Village	Survey Number	Nature of land	Type of land	Area in hectares	Name of the land Owners / Interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Palghar	Palghar	Khairapada	74/1	Agriculture	Private	0.2711	Tanaj Reddy
				12	Agriculture	Private	0.0038	Devki Dhanji Dhodi Sunil Dhanji Dhodi Chaya Gulab Dhodi Pravina Dinesh Dhodi Kashinath Keshv Dhodi Bhagwan Keshav Dhodi Jamni Vishnu Dhodi.
				75/1	Agriculture / Non Agriculture	Private	0.4000	DP Jhangir Irani Jasmin Santosh Mishra.
2	Palghar	Palghar	Umroli	120	Agriculture	Private	0.0219	Navinchandra Kisanlal Shah, Naresh Navinchandra Shah, Kiran Navinchandra Shah, Alapesh Navinchandra Shah.
				310	Agriculture	Private	0.3858	Naresh Navinchandra Shah, Alapesh Navinchandra Shah, Kiran Navinchandra Shah, Navinchandra Kisanlal Shah, Avadhesh Shalik Tiwari, Omprakash Vanshraj Tiwari, Amrutlal Jayram Pal, Nandalal Mohanlal Pal, Shilpa Mukesh Pratapsingh, Bhartbhushan Ji Pal, Dhruvabhushan Ji Pal, Chitamani Alagu Pal, Chandrabhan Ramkumar Mishra, Udyabhan Ramkumar ,Mishra, Ramlal Ramnaya Yadav, Nankau Badriprasad Kevar, Mahendraprasad Banjarnbali Gupta, Kishun Ramsurat Yadav Jagarnath Rambaran Vishwakarma, Dinesh Girdharlal Gandhi, Anil S. Mishri, Chandradhar Ramjanay Singh, Umeshchandra Dyashanker Yadav, Nandalal Hariram Pal, Narendrapratap Bhagwandas Yadav, Rammilan Ramlagan

								Jaiswar, Dayaram Mishrilal Gupta, Laxman Ramcharn Kevar, Bhulai Mahaviar Pal, Sushilkumar Chulbul Pal, Kedar Satiram Yadav, Navinchadra Kisanlal Shah, Kiran Navinchandra Shah, Aalpesh Navinchadra Shah, Ramsajeevan Jagnatha Yadav, Rajkumar Kamataprasad Yadav, Sushilkumar Ramrukh Yadav, Lalsingh Ravatsingh Dahiya, Bhavarsingh Jaysingh Rathod Babusingh Narsingh Chavhan, Naryansingh Girdharisingh Bhari, Vinodkumar Bhavarlal Vadalmiya, Ajit Mahadev Raut.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

[F. No. 2021/LML-II/12/1/WC/2241]

RAKESH CHOUDHARY, Executive Director (Land and Amenities)